अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1.9.22

गजराज नाहर बनाम राजीव जोशी

प्रार्थना–पत्र नजरसानी (रिव्यू) आदेशार्थ पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 07 को प्रार्थना–पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 5505/3764 एवं 5617/5493 का प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 09.09.2020 को आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 19.07.2021 को आदेश पारित किये गये। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.07.2021 से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 86 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रार्थीगण के हितो एवं कानून की मंशा की परिधि के पूर्णरुप से विपरीत पारित किया गया। अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 5505/3764 व 5617/5493 ग्राम मसूदा तहसील मसूदा में स्थित है। उक्त आराजी को कृषि से अकृषि बाबत् संपरिवर्तन कराने बाबत् आवेदन करने पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 09.09.2020 को आदेश पारित किया गया, इसलिए उक्त आराजी से किसी भी तरह प्रार्थीगण का हित निहित प्रभावितनही होता है तथा स्वयं के द्वारा शाश्वत कॉलोनी आराजी खसरा नम्बर 5504/3764का कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन आदेश दिनांक 04.12.2004 को किया जाकर पूर्व नियमानुसार 20 फीट रोड़ पर भू–खण्ड विभाजित किये गये, तत्पश्चात अप्रार्थीगण भू–खण्ड क्रय कर स्वयं वर्तमान अप्रार्थीगण के स्वीकार किया गया। आराजी खसरा नम्बर 5504/3764 में भी अप्रार्थी संख्या 02 व 06 के अलावा शेष अप्रार्थीगण का भू–खण्ड ही नहीं है तथा उक्त शाश्वत कॉलोनी का नव निर्मित "श्री प्रज्ञा कॉलोनी" एक पृथक कॉलोनी है। जिससे कोई सम्बन्ध सरोकार ही नही है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुख्य आधार अप्रार्थीगण की आपत्ति को आधार बनाकर नजरसानीग्रस्त निर्णय पारित किया गया, जबकि अप्रार्थीगण को उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 09.09.2020 से पूर्व अप्रार्थीगण का कोई आपत्ति बाबत् प्रार्थना–पत्र अभिलेख पर उपलब्ध ही नही है जो मात्र अपील में अंकित कथनों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व बिना दस्तावेज का अवलोकन किए तथा प्रकरण की प्रकृति को मध्यनजर रखे बिना ही नजरसानीग्रस्त आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2021 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपील को पुन. नम्बर लेकर विधिक बिन्दुओ को मध्य नजर रखते हुए अपील को निर्णित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01से 07 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शें मे पूर्व में आराजी खसरा संख्या 5504/3764 में निर्मित शाश्वत कॉलोनी की तरफ बनी 20 फीट रोड को श्री प्रज्ञा कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 1 से 12 के लिए रास्ता होना बताते हुए प्रस्तुत किया है जबकि उक्त कॉलोनी में अपीलांटस ने मकानात बने होने का कथन किया है।कॉलोनीवासियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

183/2021 नजरसानी   गजराज नाहर V/s राजीव जोशी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/183 4A-8 श्री ओम-लाल गुर्जर श्री राकेश अरोड़ा । नं 7	

लगातार

के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था,जो पत्रावली में सलंग्न करने से रह गया हों किन्तु आराजी खसरा नम्बर 5504 / 3764 में निर्मित शाश्वत कॉलोनी की तरफ बनी 20 फीट रोड़ को श्री प्रज्ञा कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 01 से 12 के लिए रास्ता होना बताये जाने से अपीलांटस के हक प्रभावित होना प्रतीत होते है इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है वह विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा केवल आपत्ति प्रार्थना–पत्र को आधार बनाकर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया है। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना–पत्र में मुख्य आधार यह था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस के द्वारा कोई आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह प्रार्थना–पत्र उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने भी अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यालय की आवक–जावक शाखा में दिनांक 26.08.2020 को भू–रूपान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। हमनें न्यायालय की पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह आपत्ति प्रार्थना–पत्र उपलब्ध नही था न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आपत्ति प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत पारित करने के आदेश दिये गये थे, जो विधि सम्मत नहीं है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

अतःप्रार्थना–पत्र नजरसानी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.07.2021 को निरस्त किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना–पत्र के आदेश की एक प्रमाणित प्रति अपील में सलंग्न की जावें। प्रार्थना–पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर